APP-A
crim-I

2017/00258

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अदालत .... नियम ....

मोहनसिंह .... बनाम .... मंगलसिंह

मुकदमा ...... 212 RTA act ...... नं. ...... 512 ...... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/17	प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रेवन्तसिंह ने अन्तर्गत धारा 212 RTA आर.टी.ए.का पेश किया।, जिस पर कार्यालय रिर्पोट प्राप्त की, कार्यालय रिर्पोट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो विप्रार्थीगण को वाद पत्र के समनस मय प्रार्थना पत्र की प्रति के, जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/,जवाबदावा तारीख 23.1.18 को पेश हो सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
23/1/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु० विप्रार्थीगण को जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/2/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
28/2/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 26/5/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
26/5/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु. पत्रावली आयन्दा राजस्व लोक अदालत कैम्प 14.6.18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
14/6/18	पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत कैम्प तिलवाड़ा में पेश हुई। प्रार्थीगण	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	वकील उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे आक्षिप्त रूप से पेश कर जाहिर किया की ग्राम तिलवाड़ा के ख० नं० 59 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, ख० नं० 376/46 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी शोयम कुल रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा अवस्थित है।
	वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या-1 की संयुक्त पैतृक अविभाजित राजस्व सम्पति है, जिसमें प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति में पुश्तैनी हिस्सा कायम है उसी के मुताबिक प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति मे कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पिता, विपक्षीगण संख्या-1 के द्वारा दो विवाह किये गये, विपक्षीगण संख्या-2 विपक्षीगण-1 की दूसरी पत्नि है। विपक्षी वादग्रस्त सम्पति मे विपक्षीगण का भी हिस्सा है। विपक्षीगण संख्या 1 मंगलसिंह वृद्ध हो गया है। जिससे विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को बेचान करने के उपक्रम करने हेतु बहगला कर जबरन बेचान करने हेतु उतारु है। जिससे प्रार्थीगण ने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है।
	हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया है। चूंकि प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या-1 व मंगलसिंह मे आपसी पुत्रान है जिसके वादग्रस्त सम्पति मे वादीगण व प्रार्थीगण का

(मोर्ध्वरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.........................

	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तामील
	पैतृक सम्पति में हक हिस्सा है। बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रिथर्थीगण प्रतिवादीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम तिलवाड़ा के खसरा नं. 59 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 37 6/48 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा में वादग्रस्त भूमि के फैसलाखीन रहते बेचान / दानपत्र / बख्शीश / वसीयत के तरह किसी भी व्यक्ति हस्तांतरण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प तिलवाड़ा में सुनाया गया। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प........तिलवाड़ा	

Scanned by CamScanner